न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 62 सन् 2012
पंजीयन दिनांक 28.02.2012

रामबक्ष पिता जगन्नाथ जाति कुम्हार निवासी बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्व

1. देवेन्द्र सिंह पिता भेरूसिंह जाति राजपुत निवासी बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. सरकार जरिये तहसीलदर चित्तौड़गढ़।
3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय चित्तौड़गढ़
4. संजय कुमार पिता राजेन्द्र कुमार जाति सुवालका निवासी चन्देरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. अनिल कुमार ईनाणी पिता सत्यनारायण जाति ईनाणी निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 27/2009 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.02.2012

उपस्थित– 1. छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित
3. शान्तिलाल बसरे–रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 2 व 3

निर्णय **दिनांक 05.01.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बस्सी व घोसुण्डी की सीमा मिली हुई है। अपीलान्ट वादी के पिता जगन्नाथ का मौजा बस्सी तहसील चित्तौड़गढ़ की साबिक आराजी नम्बर 1934/2 मीन रकबा 15 बीघा मे से 9 बीघा कृषि भूमि पर अपीलान्ट के पिता जगन्नाथ का सन् 1970 से पूर्व ही कब्जा चला आ रहा है। उस समय भूमि बिलानाम सरकार थी। मौजा घोसुण्डी

तहसील चित्तौडगढ की नवीन आराजी नम्बर 1523 रकबा 0.12 है0 भूमि पर अपीलान्ट के पिता जगन्नाथ का कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट के पिता जगन्नाथ का 2 गांवो की बिलानाम भूमियो पर कब्जा काश्त चला आ रहा था जिससे मौजा घोसुण्डी की आराजीयात अपीलान्ट को कब्जे के आधार पर आंवटित हुई परन्तु मौजा बस्सी की आराजी नम्बर 1934/2 मीन मे से 9 बीघा भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। साबिक आराजी नम्बर 1934/2 मीन का सन् 1982–83 मे भू–प्रबन्ध किया। व भू–प्रबन्ध के तहत साबिक आराजी नम्बर 1934/2 मीन के नवीन आराजी नम्बर 3748,3749,3750,3751,3752,3753,3754,3755 3756 कायम किया गया। साबिक आराजी नम्बर 1934/2 मीन के भू–प्रबन्ध के दम्यान नवीन आराजी नम्बर 3 जो वादपत्र मे वर्णित उक्त आराजीयात को बिना कब्जे के रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज कर दी जबकि रेस्पोडेन्प्ट सं. 1 न तो विवादित आराजीयात क्रय की ना ही बस्सी का निवासी है। गलत रूप से रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता ने अपने नाम दर्ज करवा ली व रेस्पोडेन्ट सं. 1 की मृत्यु के पश्चात् सम्पूर्ण आराजीयात जरिये विरासती नामान्तकरण सख्या 1502 दिनांक 05.06.2008 से बिना कब्जे काश्त के अपने नाम दर्ज करवा ली। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता भेरूसिंह ने विवादित आराजीयात के सम्बन्ध मे पत्थरगढी प्रार्थना पत्र क्रमांक 66/2000 प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2000 को पत्थरगढी का आदेश पारित किया। उक्त आदेश पर दिनांक 23.03.2002 को पत्थरगढी पर्चा मौका बनाया गया। पत्थरगढी पर्चा मौका दिनांक 23.03.2002 मे आराजी नम्बर 3748 से 3756 कुल किता 9 कुल रकबा 3.30 है0 भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता का कब्जा नही होकर अलग–अलग कब्जा पत्थरगढी पर्चा मौका मे बताया गया। आराजी नम्बर 3750 रकबा 1.57 है0 मे से 1.00 है0 आराजी नम्बर 3751 रकबा 0.13 है0 सम्पूर्ण आराजी नम्बर 3752 रकबा 0.56 है0. मे से 0.55 है0 आराजी नम्बर 3753 रकबा 0.17 है0 कुल किता 4 रकबा 1.85 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट वादी का कब्जा काश्त होना व उक्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 का कब्जा नही होना स्पष्ट किया जिससे भी अपीलान्ट वादी विवादित आराजीयात की कब्जा मुखालफाने के आधार पर घोषणात्मक डिक्री व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्त आशय का वादपत्र विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर उक्त पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 की ओर से जवाबदावा मय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. प्रस्तुत किया गया व उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब लिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र नोटिस के अभाव मे निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2012 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर

शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् पत्रावली पूर्ण होने पर वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 की ओर से पत्रावली मे लिखित बहस प्रस्तुत की गई। व अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि पत्रावली मे एक पक्षीय कार्यवाही होकर साक्ष्य हेतु नियत थी। व अपीलान्ट को साक्ष्य का अवसर दिये बगैर रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 ने पक्षकार बनते हुए आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके जवाब का अपीलान्ट को अवसर दिये बगैर विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट वादी का वादपत्र गलत आधारो पर निरस्त किया है। प्रकरण मे प्रतिवादी सं. 2 व 3 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा कोई दाद नही चाही गई। ऐसी स्थिति मे प्रतिवादी सं. 2 व 3 को नोटिस दिया जाना आत्यान्तिक नही था। फिर भी विचारण न्यायालय ने नोटिस के अभाव मे अपीलान्ट वादी का वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व डिक्री पारित की है ,जो न्यायोचित नही होने से अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 ने अपनी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2012 को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की मौखिक एवं लिखित बहस का विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से विदित होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज आराजीयात के सम्बन्ध मे घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वादपत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी मौजा बस्सी की खाता सं. 277 संवत् 2065–2068 मे उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 मे यह तथ्य अंकित किया गया है कि अपीलान्ट वादी ने बिना नोटिस दिये धारा 80 (2) जा0दी0 के आवेदन के साथ वादपत्र प्रस्तुत किया है जिससे वादी अपीलान्ट का वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ न्यायलय मे उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया व निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी ने प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध घोषणा चाही है। राज्य सरकार फोरमल पक्षकार है, जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की सहायता नही चाही गई। ऐसी स्थिति मे नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है। न ही वादपत्र प्रस्तुत करने की स्वीकृति की आवश्यकता थी। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने साक्ष्य मे विचाराधीन वादपत्र का प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए वादपत्र को निरस्त किया है। नोटिस दिया जाना आवश्यक था या नही यह तथ्य भी साक्ष्य से ही तय किया जा सकता था। ऐसी स्थिति मे

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया का अपहरण कर अपीलान्ट वादी का वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। जो संहवनीय नही होने से अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 27/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2012 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की साक्ष्य व सबुत लिवाई जाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण मे कायम की गई तनकी अनुसार तनकीवार अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्य प्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ